नन्दा देवी कन्या धन योजना

योजना के उद्देश्य–

1. लैंगिक असमानता को दूर करना।
2. कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।
3. कन्या शिशु को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
4. बाल विवाह पर रोक लगाना।
5. संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देना।
6. गर्भवती माताओं का आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शत–प्रतिशत पंजीकरण करना एवं टीकाकरण/प्रतिरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना।
7. जन्म पंजीकरण का बढ़ावा देना।

पात्रताः–

1. 01 जनवरी, 2009 के उपरान्त जन्मी कन्या हेतु।
2. अधिकतम 02 जीवित बालिकाओं हेतु।
3. बी0पी0एल0 अथवा आय प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र हेतु 21,000/– एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 16,000/– वार्षिक आमदनी का आय प्रमाण पत्र।

आर्थिक सहायता का स्वरूपः–

1. बालिका के नाम एवं बालिका की माता के पक्ष में रू0 5000/– की एफ0डी0।
2. एफ0डी0 का भुगतानः– क. बालिका की आयु 18 वर्ष होने के उपरान्त,
   ख. हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर,
   ग. बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त।

शर्ते (आवश्यक प्रमाण पत्र):–

1. उत्तराखण्ड निवासी – एस0डी0एम0 द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

2. संस्थागत प्रसव – सरकारी अस्पताल/मातृ एवं शिशु केन्द्र/ए0एन0एम0 एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र संबंधित द्वारा जारी।(संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से)
3. बी0पी0एल0 हेतु– बी0डी0ओ0 द्वारा जारी बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र बी0पी0एल0 आई0डी0 सहित एवं परिवार रजिस्टर की नकल या ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 16,000/– तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21,000/–होने पर बी0पी0एल0 के समान माना जायेगा।
4. आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण – कन्या के जन्म से पूर्व माता का पंजीकरण (गर्भावस्था के दौरान) आंगनबाड़ी केन्द्र पर– आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जारी प्रमाणपत्र। (आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं हेतु)
5. मातृ शिशु रक्षा कार्ड की छायाप्रति। (टीकाकरण की पुष्टि एवं जागरूकता हेतु)
6. जन्म प्रमाण पत्र–(जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु)

उपरोक्त प्रमाण पत्रों के साथ अभिभावकों द्वारा 60 दिन में आवेदन करना अनिवार्य है।

चयन प्रक्रियाः– क. आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा आवेदन पत्र उपरोक्त प्रमाण पत्रों के साथ प्राप्त कर सी0डी0पी0ओ0 कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते है।
ख. सी0डी0पी0ओ0 द्वारा आवेदन पत्रों की जांच एवं पूर्ण कराकर जिला कार्यक्रम अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है।
ग. डी0पी0ओ0 (नोडल अधिकारी)– चयन समिति की बैठक आयोजित कर, लाभार्थियों का चयन एवं धनराशि का आहरण कोषागार से करने के उपरान्त एल0आई0सी0/निदेशालय को धनराशि एवं सूची उपलब्ध कराना।

चयनसमितिः–

क. सी0डी0ओ0	– अध्यक्ष
ख. सी0टी0ओ0 (कोषाधिकारी)	– सदस्य
ग. एल0बी0एम0 (लीड बैंक मैनेजर)	– सदस्य
घ. समस्त सी0डी0पी0ओ0	– सदस्य
ड. डी0पी0ओ0	– सदस्य सचिव

लाभार्थियों का अन्तिम अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

लाभः—18 फरवरी, 2011 को एल0आई0सी0 के साथ अनुबन्ध किया गया ।

1. वर्तमान ब्याज दर 9 प्रतिशत के हिसाब से बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर कुल धनराशि रू0 23,585/— अनुमानित प्राप्त होगी।
2. **छात्रवृत्तिः—**
   क. प्रति माह 100 रूपये की दर से कक्षा 9 से 12 तक सालाना 1200/— की छात्रवृत्ति दी जायेगी (04 वर्ष x रू0 1200= रू0 4800)
3. लाभार्थी के माता—पिता में से किसी एक सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर रू0 30,000/— का बीमा एवं आकस्मिक मृत्यु होने पर रू0 75,000/— का बीमा होगा।